रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, मंगलवार, 27 अगस्त, 1974
भाद्रपद 5, 1896 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग-1

संख्या 2907/17-वि-1—73-73
लखनऊ, 27 अगस्त, 1974

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1974 पर दिनांक 26 अगस्त, 1974 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27, 1974 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1974

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27, 1974]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1974 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, 1956 की धारा 5 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 5 की उपधारा (1) में,—

(1) खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"(कक) भवन या वह अन्य स्थान जहां चल-चित्र यन्त्र द्वारा प्रदर्शन किया जाना प्रस्तावित हो—

(1) राजभवन, राज्य सरकार के सचिवालय, उच्च न्यायालय, राज्य लोक-सेवा आयोग या राजस्व परिषद् से कम से कम 200 मीटर की दूरी पर स्थित है ;

(2) अन्य सार्वजनिक भवनों और मान्यता प्राप्त शैक्षिक तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाओं और सार्वजनिक अस्पतालों से ऐसी न्यूनतम दूरी पर स्थित है जो नियत की जाय;

(3) ऐसे क्षेत्र में स्थित नहीं है जो अनन्यतः आवासिक प्रकार का हो अथवा अनन्यतः आवासिक प्रयोजनों के लिए आरक्षित हो; और ;"

(2) खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"(ग) लाइसेंस का दिया जाना अन्यथा लोकहित के प्रतिकूल नहीं है।";

(3) अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—(1) विभिन्न वर्ग के सार्वजनिक भवनों, संस्थाओं तथा अस्पतालों के सम्बन्ध में खण्ड (क क) के उपखण्ड (2) के अधीन विभिन्न न्यूनतम दूरियां नियत की जा सकती हैं।

(2) खण्ड (कक) के प्रयोजनों के लिए दूरी, चलचित्र के भवन के हाते की बाहरी सीमा से, उक्त खण्ड में उल्लिखित अन्य भवन के हाते की, यदि कोई हो, बाहरी सीमा तक नापी जायगी।"

धारा 7 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 7 में—

(1) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायें, अर्थात् :—

"(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि धारा 5 के अधीन कोई लाइसेंस दिया गया हो, तो उसे—

(1) राज्य सरकार द्वारा, जहां लाइसेंस सरकार ने या लाइसेंस प्राधिकारी ने दिया हो;

(2) लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा, जहां लाइसेंस ऐसे प्राधिकारी ने दिया हो, लोकहित में निरस्त किया जा सकता है या वापस लिया जा सकता है।

(1-क) विशिष्टतः और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई लाइसेंस उस उपधारा के अधीन, निम्नलिखित में से किसी आधार पर निरस्त किया जा सकता है या वापस लिया जा सकता है, अर्थात्:—

(क) लाइसेंस छल से अथवा दुर्व्यपदेशन से प्राप्त किया गया था; या

(ख) धारा 5 के अधीन, यथास्थिति, आवेदन-पत्र या अपील पर विचार करते समय, लाइसेन्स प्राधिकारी या राज्य सरकार ने किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में भूल की हो जो लाइसेन्स देने या न देने के प्रश्न के सम्बन्ध में अत्यावश्यक हो; या

(ग) लाइसेंस गृहीता इस अधिनियम अथवा तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अथवा लाइसेंस में अन्तर्विष्ट किन्हीं शर्तों अथवा निरोधों के, अथवा धारा 5 की उपधारा (4) के अधीन जारी किये गये किसी आदेश के उल्लंघन का दोषी हो; या

(घ) लाइसेंस प्राप्त स्थान की स्थिति में किसी परिवर्तन के हो जाने के कारण लाइसेंस का जारी रहना शोभनीयता अथवा नैतिकता के लिये अहितकर समझा जाता है; या

(ङ) लाइसेंस गृहीता इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन अथवा सिनेमैटोग्राफ ऐक्ट, 1952 की धारा 7 के अधीन किसी अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया हो।";

(2) उपधारा (2) में,—

(क) शब्द "स्थगित अथवा" निकाल दिये जायें;

(ख) उसमें निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि, यथास्थिति, राज्य सरकार अथवा लाइसेंस प्राधिकारी की अग्रेतर राय हो कि किये जाने के लिये प्रस्तावित कार्यवाही का उद्देश्य विलम्ब के कारण पूरा नहीं हो सकेगा तो वह प्रस्तावित कार्यवाही करने के आधार को लाइसेंस गृहीता को उपर्युक्त प्रकार से बतलाते समय अथवा उसके उपरान्त लाइसेंस स्थगित करने का अन्तरिम आदेश अभ्यन्तर काल में दे सकता है।";

(3) उपधारा (3) में, शब्द "स्थगित" निकाल दिया जाय ;

(4) उपधारा (4) में, शब्द "उपधारा (3) के अधीन लाइसेंस स्थगित या निरस्त करने अथवा वापस लेने" के स्थान पर शब्द "उपधारा (2) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन लाइसेंस स्थगित करने या उपधारा (3) के अधीन उसे निरस्त करने अथवा वापस लेने" रख दिये जायें ।

धारा 12 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 12 में, उपधारा (2) में, शब्द "दी गई कोई आज्ञा" के स्थान पर शब्द "बनाये गये नियम या दी गई कोई आज्ञा" तथा शब्द "इस अधिनियम के अधीन दी गई आज्ञा समझी जायगी" के स्थान पर शब्द "उसे इस अधिनियम के अधीन बनाया गया नियम या दी गई आज्ञा समझा जायगा" और शब्द "ऐसी किसी आज्ञा" के स्थान पर शब्द "ऐसे किसी नियम या आज्ञा" रख दिये जायें और सदैव से रखे गये समझे जायें।

धारा 13 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 13 में,—

(क) उपधारा (1) में, शब्द "पूर्व प्रकाशन के पश्चात्" निकाल दिये जायें और सदैव से निकाले गये समझे जायें;

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य-शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में विस्तारित कुल 30 दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाये, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार के किसी परिष्कार या अभिशून्यन से सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।"

विचाराधीन आवेदन-पत्रों आदि पर अधिनियम का लागू होना

6—इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम में किये गये संशोधन, चल-चित्र यन्त्र द्वारा प्रदर्शन के निमित्त लाइसेन्स देने के लिए अथवा उक्त प्रयोजन के निमित्त स्थायी भवन के निर्माण के लिए सभी आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में, चाहे वे इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व दिये गये हों या उसके पश्चात् दिये जायें, लागू होंगे, और चल-चित्र यन्त्र द्वारा प्रदर्शन के लिए लाइसेन्स देने के लिए ऐसे सभी आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में इस बात के होते हुए भी लागू होंगे कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए स्थायी भवन के निर्माण के निमित्त अनुमोदन दे दिया गया था।

No. 2907/XVII-V-1—73-73

Dated Lucknow, August 27, 1974

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Chal-Chitra (Viniyaman) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1974 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 27 of 1974) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 26, 1974.

THE UTTAR PRADESH CINEMAS (REGULATION) (AMENDMENT) ACT, 1974

[U. P. ACT No. 27 OF 1974]

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) (Amendment) Act, 1974.

Amendment of section 5 of U.P. Act no. 3 of 1956.

2. In section 5 of the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1),—

(i) *after* clause (*a*), the following clause shall be *inserted*, namely:—

"(*aa*) the building or other place in which cinematograph exhibition proposed to be given—

(i) is situated at a distance of not less than 200 metres from the Raj Bhawan, the State Government Secretariat, the High Court, the State Public Service Commission or the Board of Revenue;

(ii) is situated at such minimum distance as may be prescribed from other public buildings and from recognised educational and other public institutions and public hospitals;

(iii) is not situated in a locality which is exclusively residential in character or is reserved exclusively for residential purposes; and";

(ii) *after* clause (*b*), the following clause shall be *inserted*, namely:—

"(*c*) the grant of licence is not otherwise contrary to the public interest.";

(iii) at the end, the following Explanation shall be *inserted*, namely:—

"Explanation—(1) Different minimum distances may be prescribed under sub-clause (ii) of clause (*aa*) in relation to different classes of public buildings, institutions and hospitals.

(2) For purposes of clause (*aa*), the distance shall be measured from the outer boundary of the compound of the cinema building to the outer boundary of the compound, if any, of the other building mentioned in that clause."

Amendment of section 7.

3. In section 7 of the principal Act,—

(i) *for* sub-section (1), the following sub-sections shall be *substituted*, namely:—

"(1) Notwithstanding anything contained in this Act, where a licence has been granted under section 5, it may be cancelled or revoked in the public interest—

(i) by the State Government, where the licence was granted by the Government or by the licensing authority;

(ii) by the licensing authority, where the licence was granted by such authority.

(1-A) In particular and without prejudice to the generality of the power conferred by sub-section (1), a licence may be cancelled or revoked under that sub-section on any of the following grounds, namely:—

(*a*) that the licence was obtained through fraud or mis-representation; or

(*b*) that the licensing authority or the State Government while considering the application or appeal, as the case may be, under section 5 was under a mistake as to a matter essential to the question of grant or refusal of licence: or

(*c*) that the licensee has been guilty of breach of the provisions of this Act or the rules made thereunder or of any conditions or restrictions contained in the licence, or of any direction issued under sub-section (4) of section 5; or

(*d*) that on account of any change occurring in the situation of the place licensed, the continuance of the licence is considered prejudicial to decency or morality; or

(*e*) that the licensee has been convicted of any offence under section 8 of this Act or section 7 of Cinematograph Act, 1952.";

(ii) in sub-section (2),—

(*a*) the word "suspended" shall be *omitted*;

(*b*) the following proviso thereto shall be *inserted*, namely:—

"Provided that where the State Government or the licensing authority, as the case may be, is further of the opinion that the object of the action proposed to be taken would be defeated by delay, it may, while or after communicating to the licensee, as aforesaid, the grounds on which the action is proposed, pass an interim order suspending the licence in the mean time.";

(iii) in sub-section (3), the word "suspended" shall be *omitted*;

(iv) in sub-section (4), *for* the words "suspending, cancelling or revoking a licence under sub-section (3)", the words "suspending a licence under the proviso to sub-section (2) or cancelling or revoking it under sub-section (3)" shall be *substituted*.

Amendment section 12.

4. In section 12 of the principal Act, in sub-section (2), *for* the word "order" wherever occurring, the words "rule or order" shall be *substituted* and be deemed always to have been *substituted*.

Amendment of section 13.

5. In section 13 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1), the words "after previous publication" shall be *omitted* and be deemed always to have been *omitted*;

(*b*) after sub-section (2), the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(3) All rules made under this Act shall, as soon as may be after they are made be laid before each House of the State Legislature while it is in session for a total period of thirty days extending in its one session or more than one successive sessions, and shall unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the *Gazette*, subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may during the said period agree to make, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder."

Act to apply to pending applications etc.

6. The amendments made in the principal Act by this Act shall apply in relation to all applications, whether given before or after the commencement of this Act, for the grant of licence for cinematograph exhibition or for approval for construction of a permanent building for that purpose, and shall apply in relation to all such applications for the grant of licence for cinematograph exhibition notwithstanding that approval for construction of a permanent building for that purpose had been given by the licensing authority before the commencement of this Act.

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव ।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 155 सा० (विधायका)—1974—500 (मे०) ।